

न्यायालय उपखण्ड कचिकारी रतनगढ़

पिठातिस कचिकारी, अनिल कुमार RAS

दावा मु० न० 34/2020

निर्णय दिनांक 8-9-2020

शंखाराम उर्फ लखाराम पुत्र लखाराम जालि नाथक निवासी
पडिलारा तहसील रतनगढ़ जिला ज्योत (राज्य) वादी

बनाम

राजस्थान शनामा जसिये तहसीलदार रतनगढ़ उतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 91 हेतु नती फर्मा
अन्तर्गत धारा 136 उ शकन कचिनिपम 1957

उपरिखत

श्री कुलदीप कुमार का
पत्राशत



निर्णय

वादी के कौल की आर से दावा जमा हुआ
पत्रा उक्त वादी की अधुक्त शकलदारी मा शकल शकता नम्ब
483 वादी 9-6998 हेतु नती का कौयम इति मे 1/6 हिम्मा
कारे रोही पडिलारा तहसील रतनगढ़ जिला ज्योत मे स्थित
चला मा शकल है जितमे वादी मा बोलल नाम शंखाराम
पुत्र लखाराम अंकित कर दिश गत्र था जकीर वादी के
अन्य दस्तावेज मतदाग पहचान पत्र, काच्या कार्ड, पैन कार्ड,
पान काच्या कार्ड मे लखाराम पुत्र लखाराम अंकित है दोनो
नाम वादी के ही है जब शंखाराम पुत्र लखाराम के पत्रा पो
सही नाम लखाराम पुत्र लखाराम राजस्थान रेकर्ड मे अंकित करने
का निवेदन किया है.

उम्हें मुझे मैं वादी का नाम शम्भू रेमडि में शंकराराम
 पुत्र लखाराम हिम्मा ॥६ जाति नायक निगामी पड़ितारा रणारंशा
 दर्ज हैं दस्तावेजात महाराज पत्थान पत्र, हाचा मडि, पैन
 मडि, जन हाचा मडि आदि में वादी का नाम लखाराम
 पुत्र लखाराम है वादी सामा हार मिनर वाली ठेकेक
 योदनाका का नाम लेना था हार है इति शम्भू
 रेमडि में नाम इरुमी आवश्यक है.

दादा दर्ज रजिस्ट्र जिन नामा पतिवादी
 लखाराम शनगठ का सम्भू जाती मित्र गये एवं
 रिपोर्ट मंगवाये गयी लखाराम शनगठ ने रिपोर्ट
 मित्रवादी है शम्भू रेमडि जमावदी में बोलना नाम
 वादी का शंकराराम दर्ज है तथा वादी में शराम में शंकराराम
 व लखाराम दोनों नामों से ही पुकारते है शंकराराम
 व लखाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है एवं वादी
 का नाम शंकराराम पुत्र लखाराम जाति नायक के स्थान
 पर लखाराम पुत्र लखाराम जाति नायक सेही किया जाने
 की उचितता की है जार रिपोर्ट एवं उल्टर दस्तावेजात
 के हाचा पा यह न्यायालय वादी का शम्भू रेमडि
 में शंकराराम पुत्र लखाराम जाति नायक के स्थान पर
 लखाराम पुत्र लखाराम जाति नायक संशोधन करना
 उचित समझता है। इस उमा वादी का वाद उन्ही मित्र
 नामे योज्य है।

आदेश

वादी का वाद उन्ही किया जात है। शंकराराम
 नामा ५४३ वादी ७-६९९४ हेमेटा ॥६ हिम्मा वादी सेही
 पड़ितारा लखाराम शनगठ जिन हार में वादी का नाम



उप बण्ड अधिकारी
 रतनगढ़ (बूरा)

शंकराराम पुत्र शंकराराम जालि नाथक के स्थान पर लंकराराम
पुत्र शंकराराम जालि नाथक संशोधन करने हेतु तहसीलदार
शरनगढ़ को आदेश दिया जाता है। उन्ही पर्यत जारी
हो। तहसीलदार शरनगढ़ को उन्ही व निर्णय की पालना
हेतु लिखा जाके

निर्णय आदि दिनांक 08/09/2020 मोरकुल

ज्यायालय में सुनाया गया



08/09/2020
उप डण्ड अधिकारी
शरनगढ़ (चूस)